तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/5/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सस्कार भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इल्तुवा होकर दिनांक 01/06/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
01/6/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी॰पी॰सी॰ पेश किया। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। जमाबंदी में प्रार्थी के अलावा हो अन्य खातेदारान भी है। न्यायहित में इनको सुने जाना आवश्यक है अतः 01 R10 CPC प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश करें। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते दिनांक 01.06.2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	
1/6/22	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी कार्य सस्कार भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली इल्तुवा होकर दिनांक 01/07/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1/7/2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र शीर्षक पेश। नोटिस पूर्व ता॰ [illegible] 22 को जारी किए जा चुके हैं [illegible] अतः एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी द्वारा बहस की गई। बाद बहस व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो के अध्ययन के आधार पर प्रार्थी का (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बावड़ी जिला–जोधपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:04 IST
Reason: SelfAttested

नं. हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कंचन राठौड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–29/2021

प्रार्थी :–

1. भंवरसिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणपत सिंह नगर तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. श्यामसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणपत सिंह नगर
2. शाखा प्रबधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंण्ड जयपुर मर्ज स्टेट बैंक ऑफ इण्ड़िया तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
3. भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी, जिला जोधपुर
4. दीनदयाल सिंह पुत्र देवीसिंह
5. हरिसिंह पुत्र जालमसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम गणपत सिंह नगर तहसील बावड़ी जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णयः–

दिनांकः–01.07.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त एवं बन्ट की स्वतन्त्र तरमीम शुदा कृषि भूमि ग्राम गणपत सिंह नगर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 267/1 रकबा 1.2944 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम, भूमि आयी हुई है। जिसको वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित किया जाएगा। तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 के कब्जे काश्त मालिकाना हक की कृषि भूमि प्रार्थी के पड़ौस में स्थित है। जिसके खसरा संख्या 267 रकबा 0.6472 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि आपस में एक–दूसरे खसरे के चिपते ही माठो मांठ स्थित है। प्रार्थी कि कृषि 267/1 की पुरानी मांठे कायम की हुई है। जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को आपसी सहमति से माप–चौक [illegible] कायम कर पक्की पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 राजी नहीं हुआ। इस कारण प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:04 IST
Reason: SelfAttested

को मजबूर होकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ा। प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा संख्या 267/1 एवं अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि 267 भूमियों का राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे के भू–माप के अनुसार राजस्व नक्शे से पैमाईश करवायी जाकर प्रार्थी के खेतों की सीमा के चिन्ह कायम करवाया जाकर प्रार्थी के खेत खसरा नं. 267/1 के चारों तरफ मुटाम रोपकर पक्की पत्थरगढ़ी करायी जाने का आदेश फ़रमावें। प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त पत्थर गढ़ी करते समय पुलिस ईमदाद हेतु निवेदन किया। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगणों को प्रशासन गांवों के संग कैम्प में नोटिस जारी किये गये। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित नहीं होने से जवाब बन्द किया जाता है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी के अलावा भी नाम दर्ज होना पाया गया। जिस पर वकील प्रार्थी ने शेष रहे खातेदारों को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी का प्रस्तुत कर शेष रहे खातेदार दीनदयाल सिंह एवं हरिसिंह को अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित करने का निवेदन किया । कि उक्त दोनों खातेदार रेकाडेड खातेदार है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों खातेदारों अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयाजित किया गया। वकील प्रार्थी ने संशाधित शीर्षक प्रस्तुत किया । जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सख्या 4 से 5 की ओर न तो स्वयं उपस्थित न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित लिहाजा अप्राथीगण का जवाब बन्द किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस हेतु निवेदन किया । वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी नें अपनी बहस में बताया उक्त भूमि पैतृक बंटवाड़ा अनुसार प्रार्थी के बन्ट में होने से प्रभावित पक्षकार प्रार्थी ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा संख्या 267/1 का सीमांकन करते हुए पत्थरगढ़ी करने का आदेश करने हेतु निवेदन किया। कि प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निःसदेह जाहिर होती है। कि प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है। इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्वात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार बावड़ी को आदेशित [illegible] ता है कि ग्राम गणपत सिंह नगर तहसील बावड़ी के प्रार्थी के [illegible] 2[illegible] का सीमांकन करते हुए पत्थरगढी की कार्यवाही करे। वक्त पत्थर गढ़ी करते [illegible] आवश्यकता पड़ने पर संबंधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला–जोधपुर

थानाधिकारी से पुलिस ईमदाद तहसीलदार बावड़ी प्राप्त करें। आदेश की प्रति संलग्न कर तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला–जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

आदेश आज दिनांक 01.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी, जिला–जोधपुर
उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

उप खण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
बावड़ी, जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanchan Rathor
Date: 2022.09.30 14:35:04 IST
Reason: SelfAttested